न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 102/2017/223 आर टी ए

1. सन्दोखी पत्नि काशीराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।
2. निहालसिंह पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी देवगढ़ तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. प्रतापसिंह पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी देवगढ़ तहसील तारानगर जिला चूरू।
4. रामेश्वर पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा।
5. ओम पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. दरियासिंह पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. जयपाल पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. रामप्यारी जोजा राजेराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
2. किरसना पत्नि लिच्छूराम जाति जाट निवासी देवगढ़ तहसील तारानगर जिला चरू।
3. श्योनारायण पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी देवगढ़ तहसील तारानगर जिला चरू।
4. भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक छानीबड़ी।
5. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबन्धक कलाना तहसील भादरा।
6. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
8. तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा प्र0सं0 97/2014 अनवानी रामप्यारी बनाम किरसना आदि

उपस्थित :–
श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 8

निर्णय दिनांकः–11.04.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता सं. 119/122 के खसरा नं. 341 की 13.8480 है0 बारानी खातेदारी भूमि संयुक्त खाते मे दर्ज है तथा उक्त भूमि मे अपने अपने हिस्से अनुसार खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर पत्रावली रेस्पो0, अपीलांट/प्रतिवादीगण की तलबी हेतु चल रही थी, परन्तु विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे पेशी दिनांक 21.04.15 से पेशी 08.06. 15 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण मुकर्रर की एवं दिनांक 04.06.15 को विचारण न्यायाल द्वारा दावा विभाजन का होने से अच्छी माडी भूमि के हिसाब से खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री करने के आदेश देते हुए यह भी आदेश दिया कि अन्तिम डिक्री समस्त पक्षकारान की तामिल होने के बाद की जावेगी। तहसीलदार हल्का से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेत निर्देश जारी कर पत्रावली मे पेशी 15.07.15 मुकर्रर की एवं इस दिनांक को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 14.09.15 पेशी दी जाकर इस दिन अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पारित करने का आदेश प्रसारित कर दिया जबकि दिनांक 04.06.15 को दिये आदेश की पालना मे पक्षकारान को कोई नोटिस जारी नही किया गया एवं अपीलांट सं. 1 ता 3 व शेष रेस्पो0 व अपीलांटस को तलब किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विपरीत पारित किया होने से खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भादरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया परन्तु ना तो विचारण न्यायालय ने एवं ना ही मौका कमीश्नर ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व कोई नोटिस अपीलांटस को दिया एवं बिना नोटिस दिये मात्र रेस्पो0 सं. 1 के कहे अनुसार अच्छी मे से अच्छी भूमि गलत रूप से विभाजन मे रेस्पो0 सं. 1 को दी गई है। प्रश्नगत भूमि पर पक्षकारान की काश्त को ध्यान मे ना रखते हुये राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 की पालना किये बिना यथा सम्भव जहा कब्जा काश्त को उसको अच्छी माडी भूमि को ध्यान मे ना रखते हुये मौका कमिश्नर ने विधि विरूद्ध तरीके से रिपोर्ट विचारण न्यायालय को भिजवाई है।

4. विचारण न्यायालय ने तहसीलदार भादरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया था परन्तु उनके द्वारा मौका पर जाकर रिपोर्ट तैयार नही की बल्कि हल्का पटवारी के द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तैयार की गई रिपोर्ट को ही उपखण्ड अधिकारी भादरा को प्रेषित कर दिया गया जबकि वह ऐसा करने मे सक्षम नही है। इसके संबंध मे न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2017 पेज 299 के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की वृहद् पीठ के आदेश दिनांक 26.04.2017 के द्वारा विभाजन के दावो मे प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 20 के प्रावधानो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर पक्षकारो की उपस्थिति मे अधीनस्थ कार्मिको यथा पटवारी/भू–अभिलेख निरीक्षक के सहयोग से तैयार कर स्वयं के हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित करते हुए संबंधित सहायक कलैक्टर/उपखण्ड अधिकारी के न्यायालयो को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशो की पालना नही करने की स्थिति मे अर्थात तहसीलदार स्वयं के द्वारा तैयार नही की गई रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पुनः लौटाये जाने के निर्देश प्रदान किये है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटस एवं अन्य प्रतिवादीगण की तामील विधिवत रूप से नही करवाई गई जिसके कारण अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान नही हो सका। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का सर्वप्रथम ज्ञान अपीलांटस को दिनांक 09.03.17 को उस समय हुआ जब रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अपीलांटस को कहा कि फसल काटने के बाद उपखण्डाधिकारी भादरा की डिक्री के अनुसार सभी काश्तकारान अपनी अपनी भूमि पर काबिज हो जावे तब अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त की और बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की। इसलिये अपील ज्ञान से अन्दर प्रस्तुत की जा रही है जिसमे अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कन्डोन कर अपील अन्दर मियाद समझी जावें। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे 2017 पेज 299 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नही किया है तथा अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने तथा बिना विधिवत तामील करवाये विभाजन का दावा डिक्री किया गया है। अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान किये बिना ही तथा विभाजन प्रस्ताव हेतु अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की वृहद् पीठ के आदेश दिनांक 26.04.2017 के द्वारा विभाजन के दावो मे प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 20 के प्रावधानो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर पक्षकारो की उपस्थिति मे अधीनस्थ कार्मिको यथा पटवारी/भू–अभिलेख निरीक्षक के सहयोग से तैयार कर स्वयं के हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित करते हुए संबंधित सहायक कलैक्टर/उपखण्ड अधिकारी के न्यायालयो को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशो की पालना नही करने की स्थिति मे अर्थात तहसीलदार स्वयं के द्वारा तैयार नही की गई रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पुनः लौटाये जाने के निर्देश प्रदान किये है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार अधीनस्थ कार्मिको यथा पटवारी/भू–अभिलेख निरीक्षक के सहयोग से तैयार कर स्वयं के हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित करते हुए संबंधित सहायक कलैक्टर/उपखण्ड अधिकारी के को प्रेषित करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 11.05.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official